

07/19

प्राप्त की गई है (अधिकांश) उभय पक्ष उपस्थित
उभय पक्ष के तहत हेतु सहमत होने से तदनुसार प्रकरण
उभय पक्ष सुनी जारी अधिकांश विपक्षी ने कथन
किया कि वे मुआवजा शर्त का बैंक प्राप्त नहीं करना
चाहते हैं। चूंकि अधिकांश विपक्षी मुआवजा शर्त
का बैंक प्राप्त नहीं करना चाहते हैं अतः प्रथम पक्ष
प्रथम स्वीकार किया जाता है एवं मुआवजा शर्त का
बैंक सिविल डिपोजिट करने हेतु प्रकरण अन्तर्गत
न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश चित्तौड़गढ़
को प्रेषित किया जावे। चूंकि बैंक विपक्षी के नाम का
है अतः उक्त बैंक प्रथम कंपनी को लांशकर निष्चरित
मुआवजा शर्त सिविल डिपोजिट हेतु नवीन बैंक जिला
एवं सेशन न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ के नाम से बनाकर
प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे।

②



(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़